प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
संक्रामक रोग / वी0बी0डी0,
स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0:04–A / एन0वी0बी0डी0सी0पी0 / एन0पी0 / 2017–18 / 4530 दिनांक: 8.8.2017

विषय : एन0वी0बी0डी0सी0पी0 के ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 21फ / सं0रो0 / 2017 / 2230 दिनांक 20.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों में 06 माह हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

2. अवगत कराना है कि आपके प्रस्तावानुसार ए0ई0एस0 / जे0ई0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार, गतिविधिवार रू0 349.63 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 03.08.2017 को निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त कर दी गयी है–

Fund Allocation to Districts

SN	Name of District	Total Release (Rs.)	F.1.3.a-Strengthening of Sentinel sites	F.1.3.d - Monitoring and supervision	F.1.3.j - ICU Establishment in endemic districts	F.1.3.m - ASHA incentive for referral of AES/JE cases
1	Amethi	5000.00				5000.00
2	Azamgarh	5000.00				5000.00
3	Bahraich	2603000.00	63000.00		2520000.00	20000.00
4	Ballia	335000.00		330000.00		5000.00
5	Balrampur	158000.00	63000.00	90000.00		5000.00
6	barabanki	15000.00				15000.00
7	Bareilly	5000.00				5000.00
8	Basti	6454000.00	63000.00	330000.00	6036000.00	25000.00
9	Deoria	3093000.00			3018000.00	75000.00
10	Gonda	340000.00		330000.00		10000.00
11	Gorakhpur	3874000.00			3774000.00	100000.00
12	Hardoi	95000.00		90000.00		5000.00
13	Kanpur Dehat	90000.00		90000.00		
14	Kushi Nagar (Padrauna)	4620000.00	63000.00	330000.00	4152000.00	75000.00
15	Lakhimpur Kheri	2185000.00			2160000.00	25000.00

---2

Fund Allocation to Districts						
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	F.1.3.a- Strengthening of Sentinel sites	F.1.3.d - Monitoring and supervision	F.1.3.j - ICU Establishment in endemic districts	F.1.3.m - ASHA incentive for referral of AES/JE cases
16	Lucknow	15000.00				15000.00
17	Maharajganj	3246000.00	63000.00	90000.00	3018000.00	75000.00
18	MAU	5000.00				5000.00
19	Raebareli	335000.00		330000.00		5000.00
20	Saharanpur	330000.00		330000.00		
21	Sant Kabir Nagar	3814000.00	63000.00	330000.00	3396000.00	25000.00
22	Shrawasti	10000.00				10000.00
23	Siddharth Nagar	2923000.00			2898000.00	25000.00
24	Sitapur	408000.00	63000.00	330000.00		15000.00
Grand Total		**34963000.00**	**441000.00**	**3000000.00**	**30972000.00**	**550000.00**

3. अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग किये जाने हेतु सम्बन्धित दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। प्रेषित की जाने वाले दिशा–निर्देश में निम्नलिखित वित्तीय बिन्दुओं को भी सम्मिलित करवाने का भी कष्ट करें–

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

---3

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- मानदेय के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि से भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनको वार्षिक मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2017–18 के लिए पुनर्अनुबन्धित किया गया हो अथवा वर्ष 2017–18 की पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों के सापेक्ष नई तैनाती की गयी हो।
- भारत के नियंत्रक / महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

पत्र सं0:04–A / एन0वी0बी0डी0सी0पी0 / एन0पी0 / 2017–18 / 4530-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम